दांडिक न्याय प्रणाली के चरण

1 गिरफ्तारी

गिरफ्तारी: अगर इस बात के उचित आधार मौजूद हों कि आपने कोई अपराध किया है या करने वाले हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा। अगर मामला जमानतीय अपराध का है तो पुलिस स्टेशन से ही आपको जमानत दी जा सकती हैं।

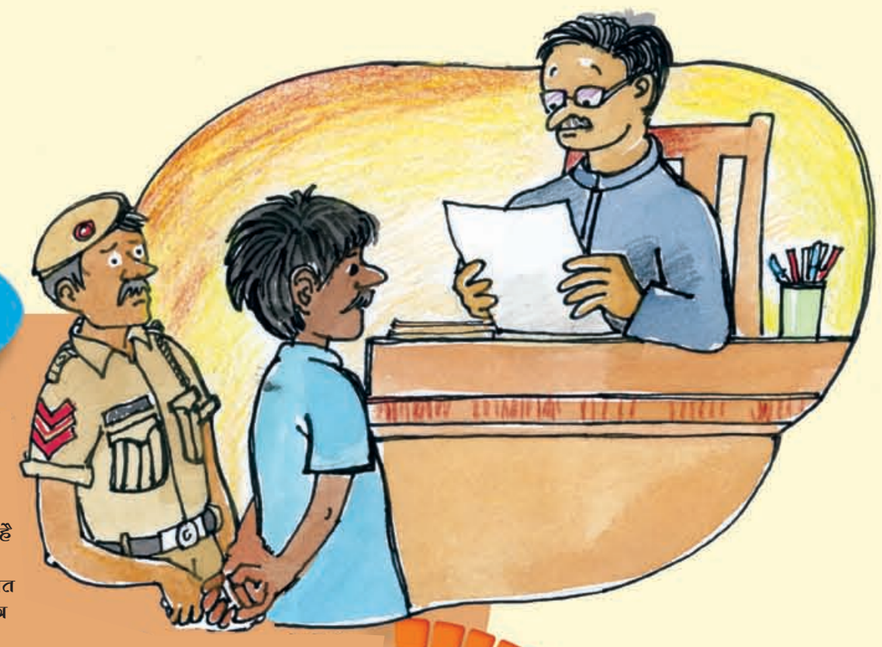

2 मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी

पेशी: आपको गिरफ्तार करने के २४ घंटे के अंदर पुलिस को आप को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत/पेश करना होगा।

ज़मानतीय अपराध: यदि आपको ज़मानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो आपको ज़मानत पे रिहा होने का अधिकार है। यह बतलाने का दायित्व पुलिस का है। आपको २४ घंटों के भीतर पुलिस स्टेशन में ज़मानत मिल सकती है या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होने पर ज़मानत पर ज़मानती के साथ या ज़मानती के बिना आपको रिहा किया जा सकता है। यदि आप एक सप्ताह के भीतर ज़मानत लेने में असमर्थ हैं, न्यायलय आपको गरीब मान लेगी तथा आपको व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) पे रिहा कर देगी।

अज़मानतीय अपराध: यदि आपको अज़मानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, पुलिस द्वारा न्यायालय में जांच से संबंधित कागज पेश किये जाएंगे। अगर पुलिस अपनी जांच पूरी करने के लिए आपको कुछ और समय तक हिरासत में रखना चाहती है तो इसके लिए पुलिस द्वारा अनुरोध किया जा सकता है। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट आपको या तो पुलिस स्टेशन में वापस भेजेंगे/भेजेंगी (पुलिस रिमांड) या आपको कारागार भेजेंगे/भेजेगी (न्यायिक रिमांड) या फिर आपको जमानत देंगे/देंगी। पेशी के समय अपने अधिवक्ता को साथ रखना आपका अधिकार है, अगर आप इसके लिए सक्षम नहीं हैं तो विधिक सहायता के द्वारा आपको अनिवार्यतः निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

हिरासत

कारागार

जमानत

3 अभियोग

अभियोग: अभियोग, कथित तौर पर आपके द्वारा किये गए अपराध की औपचारिक सूचना है। अपनी जांच पूरी करने के बाद पुलिस द्वारा न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभियोग पत्र का अवलोकन करने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोग निर्धारित किया जाएगा और इसे पढ़ कर अभियुक्त को सुनाया जाएगा। आपको तय करना होगा कि अभियोग पत्र में निर्धारित अपराध आपने किया है या नहीं किया है जिस स्थिति में तद्नुसार आप अपराध स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे।

यदि आरोप स्वीकार है

यदि आरोप स्वीकार नहीं है

4 विचारण

विचारण: अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार नहीं करता / करती तो मामले को विचारण के लिए भेज दिया जाता है। विचारण में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- सीआर. पी. सी. की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान
- मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य
- अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें
- फैसला का सुनाया जाना

5 दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

दोषसिद्धि और दोषमुक्ति: विचारण पूरा होने के बाद न्यायालय द्वारा आपको या तो आरोपित अपराध/अपराधों का दोषी नहीं माना जाएगा और आपको दोषमुक्त किया जाएगा (आपको बरी किया जाएगा और मामले को सदा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा); या आपको सिद्धदोष ठहराया जाएगा और दंडादेश दिया जाएगा।

6 अपील

अपील: अगर कोई पक्षकार, बरी किये जाने/ सजा दिए जाने/ सजा में कमी किये जाने के फैसले से व्यथित हो तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर सकता/सकती है। अपील की सुनवाई जब तक विचाराधीन रहती है तब तक के लिए अपीली न्यायालय द्वारा दंडादेश के स्थगन का आदेश दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको जमानत पर जेल से रिहा किया जा सकता है।

दंडादेश का समापन

COMMONWEALTH HUMAN RIGHTS INITIATIVE
55 A, Third Floor, Siddhartha Chambers-1, Kalu Sarai,
New Delhi - 110016 **Tel:** 91-11-43180200 **Fax:** 91-11-43180217
E-mail: info@humanrightsinitiative.org
Website: www.humanrightsinitiative.org

ROTARY CLUB OF CALCUTTA YUVIS
Rotary
(RID 3291)